सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)

वेबसाइटः www.sidajaunpur.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विज्ञापन सामग्री

आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर औद्योगिक भूखण्डों को आवंटन के माध्यम से प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया सीडा जौनपुर में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों से दिनांक 25.11.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। भूखण्डों का विवरण एंव नियम/शर्ते निम्नवत हैः–

क्र.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	बी–37	4856.00
2.	बी–38	4556.00
3.	बी–57	4571.30
4.	बी–59	3880.00
5.	सी–11	11258.58
6.	सी–18	4211.25
7.	सी–19	3681.00
8.	सी–20	5794.00
9.	सी–43	3200.00
10.	एफ–156	1000.00
11.	एफ–159	1000.00

नियम एवं शर्तेः

(1) आवेदन फार्म की दर रू0 590/– निर्धारित है। आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 25.11.2022 तक किसी भी कार्यदिवस में औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सीडा कार्यालय से प्राप्त/जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र सीडा की वेबसाईट www.sidajaunpur.com से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये आवेदन पत्र के साथ रू0 590/– का बैंक ड्राफ्ट जो SIDA के नाम बना हो तथा सतहरिया अथवा जौनपुर शाखा पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(2) औद्योगिक भूखण्डों का दर रू0 3500/– प्रति वर्गमीटर (लोकेशन चार्ज पृथक से देय) है। अर्नेस्ट मनी आवेदित भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा। आवंटन साक्षात्कार के आधार पर होगा। प्रक्रिया शुल्क एक एकड़ से कम पर रू0 2,000/– एक एकड़ से 5 एकड़ तक रू0 5,000/– तथा 5 एकड़ से ऊपर रू0 10,000/– होगा। भूखण्डों का आवंटन का प्रयोजन सामान्य होगा। आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् आवंटी द्वारा Reservation money जो कि भूखण्ड के कुल कीमत का 25 प्रतिशत है, को Earnest money समायोजित करते हुए आवंटन तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में Earnest money प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। अर्नेस्ट मनी एवं प्रक्रिया शुल्क अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट जो SIDA के नाम बना हो तथा सतहरिया अथवा जौनपुर शाखा पर देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.........2 पर

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी भी आवेदन/आवंटन/समस्त आवंटन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(4) भूखण्ड के क्षेत्रफल में 20 प्रतिशत (अधिक अथवा कम) तक अन्तर स्वीकार्य होगा।

(5) यदि प्रचलित भूखण्ड की दरों से इतर कोई पुनरीक्षित दर लागू होती है तो भूखण्ड आवंटन की तिथि से पुनरीक्षित दर आवंटी को देय होगी।

(6) आवेदन पत्र के साथ परियोजना रिपोर्ट, रफ–लेआउट प्लॉन, आवेदक संस्था/कम्पनी/व्यक्ति से सम्बन्धित हस्ताक्षरित प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) Reservation money आवंटन पत्र की तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(8) आवंटन से संबंधित अन्य सूचनाएं व विस्तृत जानकारी औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सीडा कार्यालय/सीडा की वेबसाईट www.sidajaunpur.com से प्राप्त की जा सकती है।

(9) समस्त आवेदक दिनांक 30.11.2022 को मध्यान्ह 12.00 बजे जनपद–जौनपुर स्थित कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में उद्योग से सम्बन्धित अनुभव एवं वित्तीय स्थिति तथा फर्म/कम्पनी का 3 वर्षों का बैलेन्स शीट जो चार्टड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित हो सम्बन्धित प्रपत्र/अभिलेख के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग करें। साक्षात्कार हेतु पृथक से कोई बुलावा पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

(10) आवेदन–पत्र में उल्लिखित समस्त नियम व शर्ते मान्य होगी।

(हर्ष प्रताप सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।

संख्या– 414(2)/औ0भू0आवंटन/2022–2023 तद्दिनांकित। 09-11-2022

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीडा/जिलाधिकारी जौनपुर महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सिसनेट सिस्ट्मस, पता–2ए, म्योर रोड़, इलाहाबाद को सीडा की वेबसाईट www.sidajaunpur.com पर विज्ञापन की प्रति अपलोड किये जाने हेतु।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र यथा–**"दैनिक जागरण"**, **"हिन्दुस्तान"**, **"अमर उजाला"**, **"आज"**, **"हिन्दुस्तान टाईम्स"** एवं **"टाईम्स ऑफ इण्डिया"** के वाराणसी व इलाहाबाद संस्करण के आगामी अंक में संदर्भित विज्ञापन को प्रारूप 20x8 सेमी0 साईज में सरकारी दर पर प्रकाशित कराते हुए प्रकाशन उपरान्त सम्बन्धित समाचार पत्रों की दो–दो प्रतियां बिल के साथ भुगतान हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9/11/22

(हर्ष प्रताप सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।